सं0-124/XXVIII-5-2006-23/2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादूनः दिनांक : 06 मार्च, 2006

विषयः वर्ष 2005-06 में जनपद हरिद्वार में राजकीय चिकित्सालयों में आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/ आवासीय भवन/20/2005/1813 दिनांक 12.01.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में जिला चिकित्सालय हरिद्वार, जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार तथा संयुक्त चिकित्सालय रूडकी जनपद हरिद्वार में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 3,14,19,000.00 (रू0 तीन करोड़ चौदह लाख उन्नीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में उक्त निर्माण कार्यो हेतु संलग्नानुसार कुल रू0 90,99,000.00(रू0 नब्बे लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, उत्तरांचल तथा अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लेखित दरों कर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतः निर्मित किया गयाहै।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नीव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नीव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडें ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-आयोजनागत, 110- अस्पताल तथा औषधालय 00-14-आवासीय भवनो की व्यवस्था, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-1134/वित्त अनुभाग-3/2005 दिनांक 03.03.2006 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-124(1)/XXVIII-5-2006-23/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून ।
3- जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, उत्तरांचल ।
7- अपर पारियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल ।
8- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून ।
11- आयुक्त कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतः निर्मित किया गयाहै।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडें ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-आयोजनागत, 110- अस्पताल तथा औषधालय 00-14-आवासीय भवनो की व्यवस्था, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-1134/वित्त अनुभाग-3/2005 दिनांक 03.03.2006 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-124(1)/xxviii-5-2006-23/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून ।
3- जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, उत्तरांचल ।
7- अपर पारियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल ।
8- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून ।
11- आयुक्त कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0-124/XXVIII-5-2006-23/2006 दिनांक 06-3-2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	कार्य का विवरण	जनपद का नाम	निर्माण इकाई	आगणन की लागत	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला चिकित्सालय हरिद्वार में आवासीय भवनों का निर्माण ।	हरिद्वार	रा0नि0नि0	55.10	25.00
2	जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार में आवासीय भवनों का निर्माण	हरिद्वार	सी0एण्ड डी0एस0	15.99	15.99
3	संयुक्त चिकित्सालय रूडकी में आवासीय भवनों का निर्माण ।	हरिद्वार	रा0नि0नि0	243.10	50.00
			योग	**314.19**	**90.99**

(रू0 नब्बे लाख निन्यानबे हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव